

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड़ (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
62/2023

प्रवेश तिथि
21.09.2023

निर्णय दिनांक
24.01.2024

1. लालचन्द पुत्र प्रभात यादव निवासी ग्राम कायमपुरा बास तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़।प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़।अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

---:: निर्णय ::---

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी सरकार बनाम बनवारीलाल, को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व कोर्ट/2023/145 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी सरकार बनाम बनवारीलाल, को किसी दीगर न्यायालय में मुन्त केल किए जाने का निवदेन किया।

अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी को गौर से सुनने एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कग हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़
कोटपूतली-बहरोड़

मामाला जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड

सं 62/203 लालचर नाम SDO कोटपूतली (मुन्नीबिहारी)

25/01/24 फावली प्रत्येक डी) प्रकार का आजाद
लगाई गई। प्राचीन स्वयंसेवक व उनके
अधिकार को भी उपसिद्ध नही आये।
उक्त क अवलोकन किया गया मुन्नीबिहारी
प्रान्त में अंकित पीठपान अधिकारी
के सामान्य प्रारणक (मुन्नीबिहारी प्रान्त प्रेष)
पर प्राचीन सुनगायक प्रारणक खातिर
किया जाय है। आदेश अलग से लिखा जाय
जाकर सुनाय गया। फावली फौजल शुभ
धेन दक्षिण दक्षिण है।

मामाला

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड